कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 3151 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून, जून, 25, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी;
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।

विषयः जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग विस्तार) (लम्बाई 5.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 4.5375 है0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव ।

संदर्भः प्रस्ताव संख्या FP / UK / ROAD/ 16974 / 2015

महोदय,

आपका पत्रांक 3100/ 12–1 दिनांक 22–6–2016 का अवलोकन करें। आपने इस कार्यालय के पत्रांक 3034/12–1(1) दिनांक10 जून 2016 के निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं की गई है। इस कार्यालय के द्वारा उल्लिखित आपत्ति का निराकरण करते हुए अंग्रेजी में भाग–2 को डाउनलोड कर प्रभागीय वनाधिकारी का पदनाम समूहर हस्ताक्षर हार्ड प्रति को संलग्न दस्तावेज के रूप में अपलोड किया जाय तथा अंग्रेजी का भाग–2 प्रपत्र में मूल हस्ताक्षर की हार्ड प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

आपके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 को प्रति पृष्ठाकिंत गलत रूप से करना पाया गया है जब कि प्रकरण लोक निर्माण विभाग, पुरोला से संबंधित है।

प्रस्ताव ऑन लाईन वापस किया जाता है। आधा अधूरा अस्पष्ट प्रस्ताव कदापि न भेजें।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 3151 (1) /12-1(1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।